



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272405
CG-DL-E-09052026-272405

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2243]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2243]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2334(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, मैसर्स मिडवेस्ट लिमिटेड को “प्रवर्ग ‘क’ खोज अभिकरण” के अधीन अधिसूचित करती है, जो भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वेक्षण संक्रियाएं करेगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी और ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसके अवसान तक या अनुदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एम.VI-16/22/2022-खान VI (भाग-I)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2334(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of Quality Council of India, the Central Government hereby notifies M/s Midwest Limited under “Category ‘A’ Exploration Agency”, which shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified as per the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India, Ministry of Mines, *vide* order number M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette and shall remain in force for a period of five years from the date of such notification or till the expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI (Part-1)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.